



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02032020-216488  
CG-DL-E-02032020-216488

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 828]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 28, 2020/फाल्गुन 9, 1941

No. 828]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 28, 2020/PHALGUNA 9, 1941

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2020

का.आ. 902(अ).—केन्द्रीय सरकार का यह समाधान होता है कि, लोक हित में ऐसा करना अपेक्षित है कि खनिज तेल (कच्चा तेल) मोटर और विमानन स्पिरिट, डीजल तेल, मिट्टी का तेल, ईंधन तेल, भिन्न-भिन्न प्रकार के हाइड्रोकार्बन तेल और उनके मिश्रण जिनके अधीन सिंथेटिक ईंधन, ल्यूब्रिकेटिंग तेल और उसी प्रकार के ईंधन और तेल भी हैं, के विनिर्माण या उत्पादन में लगी हुई उद्योग सेवाएँ जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची के मद 26 के अधीन समावेशित हैं, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवा होंगी;

और, केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 3107(अ), तारीख 28 अगस्त, 2019 द्वारा अंतिम रूप से, तारीख 1 सितंबर, 2019 से छह मास तक की कालावधि के लिए उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था;

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि, उक्त उद्योग की लोक उपयोगी सेवा प्रास्थिति छह मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना लोक हित में अपेक्षित है;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ढ) के उप खंड (vi) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खनिज तेल (कच्चा तेल) मोटर और विमानन स्पिरिट, डीजल

तेल, मिट्टी का तेल, ईंधन तेल, भिन्न-भिन्न प्रकार के हाइड्रोकार्बन तेल और उनके मिश्रण जिनके अंतर्गत सिंथेटिक ईंधन, ल्यूब्रिकेटिंग तेल और उसी प्रकार के ईंधन और तेल भी हैं, के विनिर्माण या उत्पादन में लगी हुई उद्योग सेवाओं को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस-11017/2/2018-आईआर(पीएल)]

कल्पना राजसिंहोत, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT**  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th February, 2020

**S.O. 902(E).**—Whereas the Central Government is satisfied that public interest so requires that the services engaged in manufacture or production of mineral oil (crude oil), motor and aviation spirit, diesel oil, kerosene oil, fuel oil, diverse hydrocarbon oils and their blends including synthetic fuels, lubricating oils and the like, which is covered under items 26 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), to be public utility service for the purposes of the said Act;

And whereas the Central Government has lastly declared the said industry to be public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months with effect from the 1<sup>st</sup> September, 2019, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment, number S.O. 3107(E), dated the 28<sup>th</sup> August, 2019;

And whereas the Central Government is of the opinion that public interest requires the extension of the public utility service status to the said industry for a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the services of the industry engaged in the manufacture or production of mineral oil (crude oil), motor and aviation spirit, diesel oil, kerosene oil, fuel oil, diverse hydrocarbon oils and their blends including synthetic fuels, lubricating oils and the like to be a public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months with effect from the date of publication of notification.

[F. No. S-11017/2/2018-IR (PL)]

KALPANA RAJSINGHOT, Jt. Secy.